भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. *246**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 11 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

चीन से आने वाले माल की आपूर्ति पर कोरोना वायरस का प्रभाव

***246.** श्री एच॰ वसंतकुमारः

डॉ॰ ए॰ चेल्लाकुमारः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोरोना वायरस के कारण चीन से कच्चे माल की होने वाली आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अनेक भारतीय उद्योगों विशेषकर फार्मा सेक्टर पर इसके पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि इनमें मांग तथा आपूर्ति में व्याप्त होने वाले असंतुलन से सभी उद्योगों में माल के मूल्य में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देशभर में माल की मांग तथा आपूर्ति में व्याप्त अंतर को पाटने तथा इनके मूल्यों में वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***

"चीन से आने वाले माल की आपूर्ति पर कोरोना वायरस के प्रभाव" पर लोकसभा में दिनांक 11.03.2020 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 246 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण वायरस फैलने पर नियंत्रण लगाने के लिए चीन के कई प्रांतों में लोगों की आवाजाही और व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। चीन में फैक्टरियों के बंद होने से उन भारतीय उद्योगों जैसे फार्मास्यूटीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल उद्योग पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, जो चीन से घटकों, मध्यवर्तियों और कच्चे माल का आयात करते हैं।

सरकार ने निर्यात संवर्धन परिषदों एवं व्यापार निकायों की सेवायें ली हैं और उनकी आपूर्ति श्रृंखला में सम्भावित विघटन का आकलन करने तथा उनका समाधान करने पर उनके साथ काम किया है, जिसमें उन्हें मौजूदा आपूर्तिकर्त्ताओं के पास उपलब्ध मालसूची को सुरक्षित रखने और परिवहन करने तथा आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों को पता लगाने के लिए विदेश स्थित हमारे मिशनों के साथ सम्पर्क बनाये रखना शामिल है।

फार्मास्यूटीकल विभाग द्वारा एपीआई (सक्रिय फार्मास्यूटीकल संघटक)/केएसएम (प्रमुख आरम्भिक सामग्री) और एपीआई आधारित औषधियों के स्टॉक की उपलब्धता की नियमित रूप से समीक्षा करने एवं संकट प्रबंधन के उपयुक्त और यथोचित उपाय सुझाने के लिए भारत के संयुक्त ड्रग महानियंत्रक (डीसीजीआई) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों से कहा गया है कि वे हमारे उत्पादनों के लिए अपने - अपने देशों में कच्चे माल के स्रोत की सम्भावना का पता लगाएं। कई मिशनों ने अपने - अपने देशों में सम्भावित क्रेताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं की सूची निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के साथ साझा की है और उनके लिए बी2बी बैठकों के सुगमीकरण के लिए अपनी सहमति दी है।

*****